

मूल वाद में डिब्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

महावीर आदि बनाम राभसिंह आदि

दावा बाबत :- 88 RFA

मुकदमा नम्बर :- 313/2021

निर्णय दिनांक :- 22-10-2021

वादी की ओर से वकील किशनलाल शर्मा की व प्रतिवादी सं० 1.C.114 की ओर से वकील मंगीराम हुडा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही अण्णा मिरानी के खाता सं० 493/458 के मु० न० 263 के किला न० 16, 17, 18, 23, 24, 25, मु० न० 268 के किला न० 2, 3, 4, 5, मु० न० 436 के किला न० 6, 15 ता 18, 22 ता 25 मु० न० 437 के किला न० 1/2, 2/1, 7/1, 7/2, 8 ता 13, 18 ता 22, मु० न० 466 के किला न० 1/2, 2/1 मु० न० 467 किला न० 4, 5 कुल 8 1250 हे० बरानी 8 1220 हे०, जो मु० रास्ता 0.0130 हे० प्रतिवादी सं० 1 के नाम पर ए० व रा० न० 8557 के खाता सं० 52/173 के मु० न० 7 के किला न० 11, 12 ता 14, 17 ता 19, 20, 21, 22 ता 24, मु० न० 23 के किला न० 1, 2 ता 4 कुल 3 7960 हे०, बरानी 2 0880 हे०, नदरी 1 7000 हे०, खातेदारी कुल मुक्ति प्रतिवादी सं० 1 के नाम 2/3 हिस्सा खातेदारी कुल हे० उक्त वाद मुक्ति के सं० प्रतिवादी सं० के बजार वादीगण व प्रतिवादी सं० का कतिस्सा कारावर के खातेदार का इतकार घोषित किने जाते है मुक्ति प्रतिवादी सं० 2 ता 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० को पक्का किया कर मुक्त कर लिया है इस लिए त्याग किने गये हिस्से पर पंजापन विभागा को वेचें संजीपन मुक्त एवं स्वाम्य उभूरा मुक्ति मुक्ति व यदि लुधि मुक्ति वें के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त द्वारापर्व खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

रिलाफ़ में दायत दरालद किने जावे राजीनामा का डि० का भा० 451 461 जावे।

यह पर्चा डिब्री आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़